

संख्या 1703-ए/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.व.)

प्रेषक,

श्री भोलानाथ तिवारी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2001

विषय : ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हावेस्टिंग पद्धतियों
को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढंग से मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती हुई आवादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेय जल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर स्रोतों के संरक्षण, मितव्ययता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल-प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु रेन

वाटर हार्डेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाएं जाने की आवश्यकता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रेन वाटर हार्डेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर के समुचित प्रबन्धन हेतु योजनाओं की संरचना तथा विकास एवं निर्माण के समय शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

2.1 महायोजना/जोनल प्लान स्तर पर कार्यवाही

नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों, झीलों को विनिहत कर महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान में उनके अनिवार्य संरक्षण हेतु प्राविधान किए जाएं एवं इनके अन्तर्गत आने वाली भूमि को किसी अन्य उपयोग में प्रस्तावित न किया जाए। साथ ही जलाशयों, तालाबों को प्रभावी रूप से रेन वाटर हार्डेस्टिंग के उपयोग में लाने हेतु चारों ओर के क्षेत्र का ड्रेनेज यथासम्बव इन्हीं जलाशयों में निस्तारित करने हेतु प्राविधान किए जाएं, परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों का प्रवाह उचित उपचार के उपरान्त ही इनमें भिलाया जाए।

2.2 योजना/ले—आउट प्लान स्तर पर कार्यवाही

- (i) 20 एकड़ एवं अधिक क्षेत्रफल की विभिन्न योजनाओं के ले—आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर ताला/जलाशय (Water Bodies) बनाई जाएं जिनसे ग्राउण्ड वाटर चार्ज हो सके। ऐसे जलाशय/तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा और उसकी गहराई 6 मीटर होगी।
- (ii) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में उपरोक्तानुसार तालाब/जलाशय बनाए जाएं अथवा पार्क/ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार एक कोने में रिचार्ज—वैल/रिचार्ज टैन्क बनाए जाएं।
- (iii) नई योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का ज्योलोजिकल/हाइड्रोलोजिकल/हाइड्रोज्योलोजिकल सर्वेक्षण कराया जाए ताकि ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जा सके।
- (iv) पाकों में पक्का निर्माण (पक्के पेडमेंट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ व ट्रैक्स यथासम्बव परिमिएबल या सोमी—परमिएबल

परफोरेटेड ब्लॉक्स के प्रयोग से ही बनाए जाएं।

2.3 भवन निर्माण स्तर पर कार्यवाही

- (i) 1000 वर्ग मीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा तभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को परकोलेशन पिट्स (Percolation Pits) के माध्यम से ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए अनिवार्य किया जाए। इस हेतु भवन उपविधियों में भी व्यवस्था की गई है तथा उसी के अनुसार भवन मानचित्र किए जाएंगे।
- (ii) भविष्य में निर्मित होने वाले समस्त शासकीय भवनों में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि भवन की लागत में ही प्राविधानित की जाए।
- (iii) पूर्व में निर्मित शासकीय भवनों में भी रूफ टाप रेन वाटर हार्डिंग एवं रिचार्ज प्रणाली को अपनाया जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सभी विभागों द्वारा अपने—अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाए।

2.4 अन्य कार्यवाही :

- (i) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़—पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे—भरे रह सकें।
- (ii) यदि सम्भव हो तो सड़कों के किनारे कच्चे रो जाएं जिनमें “ब्रिक—ऑन—एन” / “लूज—स्टोन पेवमेन्ट” का प्राविधान किया जाए ताकि ग्राउण्ड वाटर की चार्जिंग सम्भव हो सके।
3. रेन वाटर हार्डिंग एवं रिचार्ज प्रणाली के सम्बन्ध में अन्य तकनीकी जानकारी क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद लखनऊ क्षेत्र, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, वृत्त, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।
4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने आधीनस्थ कार्यरत संस्थाओं को अपने स्तर से आवश्यकता निर्देश जारी करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त रेन वाटर

हार्डिंग की विभिन्न पद्धतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(भोलानाथ तिवारी)
मुख्य सचिव

- संख्या 1703-ए (1) / 9-आ-1-29-विविध/ 98 (आ.व.) तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्रतिलिपि सचिव, नां आवास मंत्री/ राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
 2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
 4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लिं।
 5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ क्षेत्र।
 6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
 7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
 8. सदस्य/ सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
 9. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश रेडको।
 10. अध्यक्ष, आर्कोटैक्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव